

## THE HINDU MARRIAGE ACT

**1. Who are the persons governed by this Act?**

**Ans.** All Hindus, Buddhists, Jains and Sikhs.

**2. What should be minimum age of bride and bride-groom at the time of marriage?**

**Ans.** Bride-18 years, Bride-groom-21 years.

**3. What marriages are void and what marriages are voidable?**

**Ans.**

| <b>Void Marriages</b>   | <b>Voidable Marriages</b>   |
|---|---|
| Where it contravenes any one of the following conditions:<br>a) Either party has a spouse living at the time of marriage.<br>b) Parties are within prohibited relationship.<br>c) Parties are sapindas of each other. | Marriage may be annulled by a decree of nullity on any of the following grounds:<br>1. Impotency of respondent.<br>2(a) Respondent was Incapable of giving a valid consent to marriage because of unsoundness of mind.<br>(b) Respondent was suffering from mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and procreation of children.<br>(c) Respondent was subject to recurrent attacks of insanity.<br>3 The consent of the petitioner was obtained by force or by fraud.<br>4 The respondent at the time of marriage was pregnant by some person other than the petitioner. |

## हिन्दू विवाह अधिनियम

**प्रश्न** यह अधिनियम किस-किस व्यक्ति पर लागू होता है ?

- उत्तर (क) हिन्दू  
(ख) बौद्ध  
(ग) जैनी  
(घ) सिख

**प्रश्न** विवाह के समय वर और वधू की कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए ?

उत्तर वधू – 18 वर्ष और वर – 21 वर्ष

**प्रश्न** कौन से विवाह अमान्य हैं और कौन से अमान्यकरणीय हैं ?

| अमान्य विवाह   | अमान्यकरणीय विवाह  |
|--|--|
| <p>जहाँ निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति की अवहेलना होती हो –</p> <p>क) विवाह के समय कोई भी पक्ष पहले से विवाहित नहीं होना चाहिए।</p> <p>ख) यदि दोनों पक्ष किसी निषिद्ध रिश्ते में हों</p> <p>ग) यदि दोनों पक्ष एक-दूसरे sapindas हों</p> | <p>निम्नलिखित के आधार पर डिक्री द्वारा विवाह अमान्य हो सकता है –</p> <p>1) प्रतिवादी के नपुंसक होने की स्थिति में।</p> <p>2) (क) यदि कोई पक्ष विवाह के लिए किसी मानसिक रोग के कारण सहमति देने में असमर्थ हो।<br/>(ख) यदि प्रतिवादी किसी ऐसे मनोविकार से पीड़ित है कि विवाह व बच्चे पैदा करने के लिए अयोग्य है।<br/>(ग) वह स्थिति जिसमें शादी के समय से प्रतिवादी पागलपन के आवर्ती दौरों से प्रभावित हो।</p> <p>3) यदि याचिकाकर्ता की सहमति बल या धोखे से प्राप्त की गई हो।</p> <p>4) यदि प्रतिवादी विवाह के समय याचिकाकर्ता के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से गर्भवती हो।</p> |

**4. What are the provisions regarding restitution of conjugal rights under Hindu Marriage Act?**

**Ans.** When either spouse has withdrawn from the society of the other without any reasonable excuse, Court may pass a decree for restitution of conjugal rights.

**5. What are the grounds on which divorce can be obtained under Hindu Marriage Act?**

**Ans.** A petition for divorce may be filed after one year of the marriage. In case of exceptional hardship to the petitioner or of exceptional depravity on the part of the respondent, a petition may be allowed to be presented before one year.

Marriage may be dissolve by a decree of divorce on the following grounds:

1. Respondent had voluntary sexual intercourse with any person other than the spouse after the marriage.
2. Respondent has treated the petitioner with cruelty.
3. Respondent has deserted the petitioner for a continuous period of not less than two years.
4. Respondent ceased to be a Hindu.
5. Respondent has been incurably of unsound mind.
6. Respondent has been suffering from virulent and incurable form of leprosy.
7. Respondent has been suffering from venereal disease in a communicable form.
8. Respondent has renounced the world by entering any religious order.
9. Respondent not heard of as being alive for a period of seven years or more.

Either party may obtain divorce:

10. On the ground that there was no resumption of cohabitation for period of one year or more after decree of judicial separation

**प्रश्न** हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए क्या प्रावधान हैं ?

**उत्तर** यदि एक पक्ष को दूसरे पक्ष के समाज से बिना किसी उचित बहाने के निकाल दिया गया हो, तो न्यायालय वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री पास कर सकता है।

**प्रश्न** हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत किस आधार पर तलाक प्राप्त किया जा सकता है?

**उत्तर** विवाह के एक वर्ष पश्चात् तलाक के लिए याचिका दायर की जा सकती है। असाधारण कठिनाई या प्रतिवादी की ओर से असाधारण भ्रष्टता के केस में एक वर्ष से पहले तलाक याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है। निम्नलिखित आधार पर तालाक के आदेश की डिक्री के द्वारा विवाह भंग हो सकता है –

- (1) यदि विवाह के बाद अपने साथी के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक संभोग किया हो।
- (2) प्रतिवादी ने शादी होने के बाद से वादी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया हो।
- (3) यदि प्रतिवादी ने दूसरे पक्ष का परित्याग किया हो (कम से कम निरंतर दो साल के लिए)।
- (4) यदि धर्म परिवर्तन के कारण प्रतिवादी हिन्दू न रहा हो।
- (5) यदि प्रतिवादी अरोग्य पागलपन से पीड़ित हो।
- (6) यदि प्रतिवादी उग्र व लाईलाज कुष्ठ रोग से पीड़ित हो।
- (7) यदि प्रतिवादी संक्रामक यौन रोग से पीड़ित हो।
- (8) यदि प्रतिवादी किसी धार्मिक गठन को अपनाकर दुनियादारी त्याग देता है।
- (9) यदि प्रतिवादी के जीवित होने के बारे में सात वर्ष या उससे अधिक तक न सुना हो।

**कोई भी पक्ष निम्नलिखित के आधार पर भी तलाक ले सकता है –**

- (10) यदि न्यायिक अलगाव की डिक्री के बाद एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक दोनों पक्षों के बीच सहवास न हुआ हो।

11. There has been no restitution of conjugal rights for a period of one year or more after decree for restitution of conjugal rights.

Wife may also seek divorce on the following ground:

12. In case of marriage before 1955 act, the husband had married again before such commencement or that any other wife of the husband was alive at the time of solemnization of marriage of petitioner.

13. The husband, after marriage, has been guilty of rape, sodomy or bestiality.

14. Co-habitation not resumed for one year or more since passing of decree/order for maintenance against husband under Section 125 Cr.P.C or under Hindu Adoptions & Maintenance Act, 1956.

15. Marriage was solemnized when petitioner was below 15 years of age and she has repudiated the marriage, after attaining the age of 15 years, and before attaining the age of 18 years.

Divorce under customary law is recognized under Section 29 of Hindu Marriage Act. Such custom and usage should have been continuously observed for a long time, having obtained the force of law among Hindus in any local area, Tribe, Community, groups or family. Rule should be certain and not opposed to public policy.

**6. *Whether a petition under Hindu Marriage Act cannot be filed within one year of the marriage?***

**Ans.** Yes, a petition under Hindu Marriage Act cannot be filed within one year of the marriage except with the permission of the Court.

**7. *When can a person re-marry after passing of decree of divorce?***

**Ans.** When a marriage has been dissolved by a decree of divorce and either there is no right of appeal against the decree or if there is such a right of appeal the time for appealing has expired without an appeal having been presented, or an appeal has been presented but has been dismissed, it shall be lawful for either party to marry again.

- (11) यदि वैवाहिक अधिकारों की बहाली की डिक्री के एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के बाद भी दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों की बहाली न हुई हो।

**पत्नी निम्नलिखित आधार पर तलाक ले सकती है –**

- (12) 1955 के अधिनियम आरम्भ होने से पहले पति ने दोबारा विवाह कर लिया था या उसकी कोई अन्य पत्नी याचिकाकर्ता के विवाह के समय जीवित थी।
- (13) यदि विवाह के बाद पति बलात्कार, गुदा मैथून या पाशविकता का अपराधी हो।
- (14) धारा 125 के तहत या हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत यदि पति के खिलाफ भरण-पोषण के आदेश पास होने के एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक सहवास न हुआ हो।
- (15) यदि याचिकाकर्ता का 15 वर्ष की उम्र से पहले विवाह हुआ हो और यदि उसने 15 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र के बीच में विवाह का खण्डन कर दिया हो।

**प्रश्न रीति-रिवाजों के तहत तलाक?**

उत्तर हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 29 रीति-रिवाज के तहत तलाक को भी मान्यता देती है परन्तु ऐसे रीति रिवाजों का अनुपालन एक लम्बे समय से लगातार होना चाहिए। यह नियम निश्चित होना चाहिए और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।

**प्रश्न क्या हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह के एक वर्ष के भीतर याचिका दायर नहीं की जा सकती?**

उत्तर हाँ, अदालत की अनुमति के अलावा, हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह के एक वर्ष के भीतर याचिका दायर नहीं की जा सकती।

**प्रश्न तलाक की डिक्री के पास होने के बाद व्यक्ति कब दूसरा विवाह कर सकता है?**

उत्तर जब तलाक की डिक्री के द्वारा विवाह को भंग किया जाता है, उसके बाद यदि डिक्री के खिलाफ अपील करने का अधिकार न हो और यदि अपील करने के अधिकार का समय समाप्त हो गया हो और यदि अपील प्रस्तुत की गई हो किन्तु अपील को खारिज कर दिया गया है, तो किसी भी पक्ष के लिए दोबारा विवाह करना वैध होगा।

**8. What are the provisions regarding grant of interim maintenance?**

**Ans.** Where it appears to Court that the wife or the husband, as the case may be, has no independent income sufficient for his/her support and the necessary expenses of the proceedings, it may grant interim maintenance to the applicant.

**9. What are the provision regarding permanent alimony?**

**Ans.** At the time of passing of decree or at any time subsequent thereto the Court on application made by either party, order that the other party shall pay to the applicant for his/her maintenance and support, a gross sum or such monthly or periodical sums as may seem to the Court to be just.

**10. Which Authority is competent to grant the decree of divorce and what is the procedure to be followed?**

**Ans.** The petition for divorce is to be filed before the District Court:-

1. Where the marriage was solemnized.
2. Where respondent resides.
3. Where the parties to the marriage last resided together.
4. In case the wife is the petitioner, where she is residing on the date of presentation of petition.

**11. Are customary marriages such as Krevā marriage valid?**

**Ans.** The Hindu Marriage can be solemnized in accordance with customary rights and ceremonies of either party thereto. So, customary marriages such as Krevā marriages, where such customs are recognized can be a valid marriage if there is no violation of any other provision of the Act.

**प्रश्न** क्या इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्तरिम गुजारा-भता का प्रावधान है ?

उत्तर यदि न्यायालय को लगे कि पति या पत्नी की ऐसी स्वतंत्र आय नहीं है उसका गुजारा हो सके और केस के आवश्यक खर्च सहन कर सके, तो आवेदक को अन्तरिम गुजारा भता दिया जा सकता है।

**प्रश्न** क्या स्थाई तौर पर निर्वाह-व्यय पाने के लिए प्रावधान हैं ?

उत्तर दावा पारित करने के समय या उसके बाद किसी पक्ष के आवेदन पर, न्यायालय आदेश पारित कर सकता है कि दूसरा पक्ष आवेदक को निर्वाह-व्यय के लिए एक सकल राशि देगा, या मासिक या एक निश्चित अन्तराल पर भुगतान करेगा, जैसा न्यायालय की दृष्टि में उचित हो।

**प्रश्न** कौन सा प्राधिकरण तलाक की डिक्री देने में सक्षम होता है और क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

उत्तर तलाक के लिए उस जिला अदालत में याचिका दी जा सकती है –

- क) जहाँ विवाह हुआ था।
- ख) जहाँ प्रतिवादी रहता है।
- ग) जहाँ पति और पत्नी दोनों विवाह के समय साथ रहते थे।
- घ) यदि पत्नी याचिकाकर्ता है वह याचिका की प्रस्तुति के दिन जहाँ पर रह रही हैं।

**प्रश्न** क्या रिवाज के अनुकूल होने वाले विवाह, जैसे क्रेवा विवाह, मान्य हैं ?

उत्तर हिन्दू विवाह किसी एक पक्ष के रीति-रिवाजों के अनुसार किया जा सकता है। इसलिए प्रथागत विवाह, जैसे क्रेवा विवाह, मान्य विवाह हैं जहाँ ऐसे रिवाज मान्य हैं और यदि अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन न हो।